न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 25/2019 वाद

1– दौलतराम पिता हीरालाल खटीक, आयु बालिग, निवासी कनेरा।
2– रामनारायण पिता हीरालाल खटीक, आयु बालिग, निवासी कनेरा।
3– हुलासी बाई पुत्री हीरालाल खटीक, पत्नी मांगीलाल खटीक, निवासी कनेरा।
4– बसन्त कुमार पिता रामलाल खटीक, निवासी कनेरा मृतक के बजाय–
4/1– कमलेश पिता बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार खटीक, आयु 30 साल, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।
4/2– शौकिन पिता बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार खटीक, आयु 28 साल, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।
4/3– श्रीमती इन्द्रा बाई बेवा बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार खटीक, उम्र 60 साल, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।
5– श्री ओमप्रकाश पिता रामलाल खटीक, आयु बालिग, निवासी कनेरा।
6– मु.कंचन कुमारी पिता हीरालाल खटीक, आयु बालिग, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1– राज0सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ़।
2– राज0सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0का0अधि0
श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित
तहसीलदार निम्बाहेड़ा पैरोकार सरकार उपस्थित

निर्णय दिनांक 25.11.2019

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा कनेरा की आराजी नं. 229 रकबा 7 बीघा लगान 7 रूपये दिनांक 05.05.1981 को हीरालाल पिता घासी खटीक, निवासी कनेरा को अलाट हुई होकर उसका कब्जा नियमानुसार सौंपा गया। अलाटमेण्ट की मिसल संख्या 1/81 है। अलॉट होने के बाद से हीरालाल जी ने उक्त भूमि पर लगातार काश्त की व करते रहे। हीरालाल का देहान्त दिनांक 01.11.1999 को हुआ तथा वादीगण हीरालाल के वारिसान होकर इस आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं। इस भूमि के पडोस पूर्व में

मोहनदास बैरागी, पश्चिम में जोधा पिता भेरा गाडरी, उत्तर में सरकारी रास्ता व दक्षिण में भी सरकारी आम रास्ता है। हीरालाल जी की नामसझी व सीधेपन से उक्त अलॉटशुदा भूमि का राजस्व रेकार्ड में समय पर अंकन नहीं हो पाया। कुछ समय से राजस्व कर्मचारी उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा हटाने के लिए धमकियां दे रहे हैं जबकि वादीगण व पूर्व में उनके पिता हीरालाल कानूनी रूप से उक्त वादग्रस्त भूमि के मालिक खातेदार हैं। इसलिए विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज करना तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी की घोषित फरमाई जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि वादीगण का दावा सारहीन होकर विचारणीय नहीं है। विवादित भूमि हीरालाल पिता घासी खटीक को आवंटित की गई थी जिसका कागजों में दिनांक 02.07.1981 को कब्जा भी सौंपा गया परन्तु आवंटी वादी व उसके वारिसान के नाम किसी भी राजस्व रेकार्ड यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील में दर्ज नहीं है। रेकार्ड, पटवारी रिपोर्ट व पर्चा मौका की स्थिति अनुसार उक्त आराजीयात बेशकीमती होने से वादीगण उसे हड़पना चाहते हैं। ग्राम पंचायत कनेरा द्वारा दिनांक 05.08.2010 को लिये गये प्रस्ताव संख्या 3 में भी स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी दौलतराम उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिक कर रहे हैं तथा मौके पर गत 30 वर्षो से ना तो प्रार्थी का कोई कब्जा रहा है और ना ही प्रार्थीगण कनेरा में रहते हैं। वर्तमान में उक्त आराजी पर ग्राम पंचायत द्वारा हाल ही में नरेगा योजनान्तर्गत पत्थर की कच्ची मेडबन्दी की गई है। यदि वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा होता तो उनके द्वारा कोई उज्र एतराज किया गया होता। आवंटी व उसके वारिसान शिक्षित व प्रतिष्ठित सेवारत रह चुके हैं इसलिए सीधेपन व अज्ञानता वाला बिन्दु स्वीकार्य नहीं है। इतने लम्बे अन्तराल तक आवंटी द्वारा गैर खातेदारी दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा आवंटन की शर्तो अनुसार काश्त किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। आवंटी की मृत्यु के लगभग 10 साल उपरान्त भी उनके वारिसान द्वारा विरासत के सम्बन्धी कोई आवेदन या कार्यवाही नहीं की गई। वादीगण का दावा निरस्त योग्य है।

वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गईः–

1– क्या आराजी नं. 229 रकबा 7 बीघा कृषि भूमि वादी को दिनांक 05.05.1981 को विधिवत आवंटित हुई है। – जिम्मे वादीगण

2– क्या वादी विवादित भूमि वादीगण अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं? – जिम्मे वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3– सहायता एवं व्यय।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौडगढ़ के प्रकरण संख्या 81/2012 एलआर निर्णय दिनांक 23.08.2013 की प्रति, आवंटन प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, रिपोर्ट पटवारी कनेरा प्रदर्श–2, आवंटन पत्रावली दिनांक 05.05.1981 प्रदर्श–3, 4, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5, पर्चा मौका पटवारी कनेरा प्रदर्श–6, मिसल संख्या 1281 दिनांक 06.07.1981 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7, आवंटन आदेश दिनांक 06.07.1981 प्रदर्श–8, पंजीकृत डाक की तामिल रसीदें प्रदर्श– 9, 10, 11 प्रस्तुत की है। मौखिक साक्ष्य में दौलतराम पिता हीरालाल खटीक के बयान करवाये गये हैं। प्रतिवादीगण की ओर से ग्राम पंचायत कनेरा की बैठक दिनांक 05.08.2010 के प्रस्ताव संख्या 3 की प्रति, ग्राम कनेरा के नामान्तरकरण संख्या 2587 की छायाप्रति, ग्राम कनेरा की खाता संख्या 1 की जमाबन्दी संख्या 2057–60, पर्चा मौका पटवारी कनेरा दिनांक 22.06.2011, रिपोर्ट पटवार हल्का दिनांक 20.06.2011, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़ का पत्रांक/राजस्व/12–6(3)04/303, दिनांक 19.02.2014 की प्रति प्रस्तुत की गई।

बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा गवाह के बयान पर गौर किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से आरआरटी 2009 (2) पेज संख्या 931 से 934, आरआरटी 2008(1) पेज संख्या 598 से 601, आरआरटी 2007(2) पेज संख्या 1443 से 1447, आरआरटी 2006–07(सप्ली.) पेज संख्या 273 से 277, आरआरडी 1999 पेज संख्या 456 से 457 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये जिन पर मनन किया गया। साक्ष्य व गवाही के उपरान्त तनकीवार निर्णय करते हुए दिनांक 20.12.2016 को वादी का दावा खारीज कर दिया गया। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौडगढ़ में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण संख्या 53/2017 पर दर्ज होकर दिनांक 04.10.2018 को माननीय अपील न्यायालय ने निर्णय दिया की ''अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आवंटन निरस्तीकरण का आदेश अपास्त किया जाकर आवंटन बहाल रखे जाने के आदेश की महत्वपूर्ण साक्ष्य का विवेचन कर उभय पक्ष को सुनकर पुनः तनकी नं. 2 का निर्णय पारित करें।''

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने उपस्थित होकर पूर्व में प्रस्तुत प्रत्युत्तर को ही सही मानते हुए कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण की ओर से धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण संख्या 1857/2011 में वादीगण को दिये गये नोटिस दिनांक 23.09.2011 की प्रति प्रस्तुत की है तथा प्रमोदगिरी पिता शिदल गिरी, राजमल पिता रामलाल खटीक, वादी दौलतराम पिता हीरा खटीक व धमेन्द्र पिता मोहनदास बैरागी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं।

प्रकरण में पूर्व में दो तनकीयात कायम की गई थी जिनका भार वादी पर था। वादी द्वारा तनकी नं. 1 को साबित किया गया था परन्तु तनकी नं. 2 पर निर्णय करते हुए साबित नहीं मान कर दावा खारीज किया गया था। अपील न्यायालय द्वारा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित हुई है कि ''प्रकरण में आवंटन निरस्तीकरण का आदेश अपास्त किया जाकर आवंटन बहाल रखे जाने के आदेश की महत्वपूर्ण साक्ष्य का विवेचन कर उभय पक्ष को सुनकर पुनः तनकी नं. 2 का निर्णय पारित करें।'' न्यायालय हाजा के पूर्व निर्णय के उपरान्त कई परिस्थितियां बदली हैं तथा वादीगण द्वारा नवीन दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है जिनकी विस्तृत विवेचना किया जाना अपेक्षित है। इसलिए तनकी नं. 2 पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है। साक्ष्य व गवाही के उपरान्त तनकी नं. 2 का विवेचन इस प्रकार है–

2– तनकी नं. 2:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही है। प्रश्नतग भूमि हीरालाल पिता घासी खटीक को विधिवत रूप से आवंटित किया जाना रेकार्ड में अंकित है। पूर्व में वादी का कब्जा रहित होने एवं आवंटन नियमों की पालना वादी द्वारा नहीं किए जाने से जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़ द्वारा पत्र क्रमांक/305 दिनांक 17.02.2014 को तहसीलदार को आवंटन नियम 14(4) के तहत आवंटन कार्यवाही निरस्त कराने हेतु निर्देशित किया गया था। पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य के अतिरिक्त वादी ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण संख्या 1857/2011 में वादीगण को दिये गये नोटिस दिनांक 23.09. 2011 की प्रति प्रस्तुत की है तथा प्रमोदगिरी पिता शिदल गिरी, राजमल पिता रामलाल खटीक, वादी दौलतराम पिता हीरा खटीक व धमेन्द्र पिता मोहनदास बैरागी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं। धारा 91 के तहत तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा वादी का कब्जा मानते हुए ही नोटिस जारी किये गये हैं। मौखिक साक्ष्य में भी गवाहों ने वादी का कब्जा प्रकट किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौडगढ़ ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि आवंटन के निरस्तीकरण के जिला कलक्टर महोदय, चित्तौडगढ़ के प्रकरण संख्या 4/629 निर्णय दिनांक 16.04.2004 की अपील संख्या 81/2012 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, चित्तौडगढ़ द्वारा आवंटन निरस्तीकरण के आदेश को अपास्त कर आवंटन बहाल कर दिया गया है। तद्नुसार वादी का आवंटन बहाल हो चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व धारा 91 के नोटिस से भी वादी के कब्जे की पुष्टि होती है। वादी अपने नियमित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जे को साबित नहीं कर सका था इसलिए वादीगण द्वारा पूर्व में आवंटन शर्तों की पालना किया जाना साबित नहीं होने से खातेदारी अधिकार दिये जाने का दावा निरस्त किया गया था। वर्तमान में उक्त आदेश अपास्त हो चुका है। माननीय अपील न्यायालय द्वारा आवंटन बहाल किया जाकर पुनः उभय पक्षों को सुनवाई कर निर्णय करने के आदेश दिये गये हैं जिसमें वादीगण ने अपने पक्ष में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है परन्तु प्रतिवादीगण की ओर से ना तो कोई अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है और ना ही कोई जवाब पुनः प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी नं. 2 का निर्णय बहक वादीगण तय किया जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि माननीय अपील न्यायालय द्वारा वादीगण के आवंटन को बहाल किया जा चुका है तथा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से वादी के कब्जे की पुष्टि होती है जिसके विरोध में पैरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा कोई लिखित अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा कनेरा की साबिक आराजी नं. 229 में से 7 बीघा भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.11.2019 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 25/2019 वाद

1— दौलतराम पिता हीरालाल खटीक, आयु बालिग, निवासी कनेरा।
2— रामनारायण पिता हीरालाल खटीक, आयु बालिग, निवासी कनेरा।
3— हुलासी बाई पुत्री हीरालाल खटीक, पत्नी मांगीलाल खटीक, निवासी कनेरा।
4— बसन्त कुमार पिता रामलाल खटीक, निवासी कनेरा मृतक के बजाय—
4/1— कमलेश पिता बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार खटीक, आयु 30 साल, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।
4/2— शौकिन पिता बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार खटीक, आयु 28 साल, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।
4/3— श्रीमती इन्द्रा बाई बेवा बसन्तीलाल उर्फ बसन्त कुमार खटीक, उम्र 60 साल, निवासी केली, तहसील निम्बाहेड़ा।
5— श्री ओमप्रकाश पिता रामलाल खटीक, आयु बालिग, निवासी कनेरा।
6— मु.कंचन कुमारी पिता हीरालाल खटीक, आयु बालिग, निवासी कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा।

— वादीगण

//बनाम//

1— राज0सरकार जरिये जिलाधीश महोदय, चित्तौडगढ़।
2— राज0सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा0का0अधि0

इस वाद में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा तथा प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत होने पर निर्णय दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा कनेरा की साबिक आराजी नं. 229 में से 7 बीघा भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज दिनांक 25.11.2019 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा सहित जारी किया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:24:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: